an>

Title: Regarding fixation of election expense for elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव के खर्च की सीमा की तरफ आकर्Âिषत करना चाहता हूं। प्रत्येक लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव के खर्चे चुनाव घोषित होने की तिथि से जोड़े जाते हैं, परन्तु तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा घोÂिषत तिथि से एक वर्ष पहले से ही कर दी जाती है। संबंधित प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व से ही अपना प्रचार मनमाने तरीके से करते हैं। होर्डिंग्स, वॉल राइटिंग, पोस्टर तथा कैफे आदि की भी व्यवस्था शुरू कर देते हैं और मतदाताओं को उपहार आदि बांटते हैं, जिसके खर्च की किसी भी तरह की भी गणना चुनाव खर्च में जोड़ी नहीं जाती है। ऐसे प्रत्याशियों की चुनाव खर्च की सीमा पार्टियों द्वारा प्रत्याशी घोÂिषत किए जाने के समय से ही की जानी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा घोÂिषत तिथि के पूर्व घोÂिात किए गए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। यदि बीच में या बाद में प्रत्याशी बदल दिया जाता है, तो घोÂिषत प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च बेकार भी चला जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कोई भी गरीब प्रत्याशी मात्र निर्धारित समय में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सी.पी. जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री शिवकुमार उदासि,

श्री संजय धोत्रे और

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।